

## ऑन लाईन डिग्गी निर्माण कार्यक्रम का अनुदान प्रार्थना-पत्र वर्ष 2020-21

सेवा में,

कृषक का फोटो

सहायक निदेशक कृषि ( विस्तार )

जिला :-

महोदय

मैं कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई / राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अपने खेत में डिग्गी निर्माण करवाना चाहता हूँ । कृपया मुझे नियमानुसार डिग्गी हेतु अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करें । प्रार्थी का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. कृषक का नाम :- पिता का नाम :-

2. जाति :-

3. मोबाईल नम्बर :-

4. पता :-

ग्राम पंचायत :-

5. पंचायत समिति :-

तहसील :-

6. आधार कार्ड संख्या अनिवार्य :-

7. सहायक कृषि अधिकारी :-

8. कृषि पर्यवेक्षक :-

9. कृषक जमीन विवरण ( हैक्टेयर ) :-

(a) सिंचाई ( हैक्टेयर में )

(b) सिंचाई ( हैक्टेयर में )

कुल जमीन ( हैक्टेयर में )

10. वह स्थान जहाँ कृषक डिग्गी बनवाना चाहता है :-

मुरब्बा नम्बर

किला नम्बर

11. डिग्गी का आकार ( फिट में )

उपर की लम्बाई

उपर की चौड़ाई

गहराई

निचाई

निचाई

पानी की क्षमता ( लीटर में ).....

जल ग्रहण क्षमता

लाख लीटर होगी ।

12. पम्प सेट किया गया है.....जो ब्रान्ड है.....मॉडल.....

13. स्प्रिंकलर सेट / ड्रिप / माईक्रो स्प्रिंकलर मॉडल.....जो ब्रान्ड है.....मॉडल.....

14. मेरे खेत का नजरिया नक्शा निम्न विवरणानुसार है :-

उत्तर में.....पुत्र श्री..... का खेत है

दक्षिण में.....पुत्र श्री..... का खेत है

पूर्व में.....पुत्र श्री..... का खेत है

पश्चिम में.....पुत्र श्री..... का खेत है

15. बैंक का नाम :-

16. शाखा का नाम :-

17. आई.एफ.एस.सी. कोड :-

18. खाता संख्या :-

19. पूर्व के गत वर्षों में अनुदान प्राप्त नहीं किया है के आशय का घोषणा पत्र ( संलग्न )

## घोषणा

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि पूर्व में मेरे द्वारा डिग्री निर्माण पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है तथा प्राप्त अनुदान का दुरुपयोग नहीं करूंगा/करूंगी । अपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर विभाग पूरी राशि वसूल करने का तथा वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

गवाह के हस्ताक्षर एवं नाम  
मय पूर्ण पता

कृषक का नाम व हस्ताक्षर  
दूरभाष

सहमति पत्र ( मुस्तरका/ साझा खाता होने पर )

हम/मैं ..... पुत्र श्री ..... निवास ..... गांव .....  
तहसील ..... जिला ..... घोषण करता/करते है कि कृषक श्री ..... पुत्र श्री .....  
चक ..... के मुरब्बा नं./खसरा नं. .... किला नम्बर ..... जो उसके  
हिस्से में खाता आता है जिसमें डिग्गी निर्माण करता है तो उसमें हम /मैं किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है ।

कृषक के हस्ताक्षर

कृषि पर्यवेक्षक व सह कृषि अधिकारी का मौका की रिपोर्ट :-

डिग्गी निर्माण से पूर्व आवेदन के समय

मैंने कृषक श्री ..... पिता/पुत्र/पति श्री ..... के चक ..... मुरब्बा नं. ....  
किला नम्बर ..... का मौका निरीक्षण कर लिया है डिग्गी पूर्व में निर्मित नहीं है और न ही कृषक के द्वारा पूर्व में डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्राप्त किया गया है । पत्रावली का  
निरीक्षण कर लिया गया है । दिशा निर्देशानुसार पत्रावली सही है । इसे मैंने क्रमांक ..... दिनांक ..... पर पंजीकृत कर लिया है तथा प्रशासनिक स्वीकृति  
जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

सहायक कृषि अधिकारी  
मुख्यालय

कृषि पर्यवेक्षक  
मुख्यालय

:- केवल कार्यालय उपयोग हेतु :-

कृषक श्री ..... पिता/पुत्र/पति श्री ..... चक ..... में क्रमांक .....  
दिनांक ..... को पंजीकृत कर क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है ।

सहायक निदेशक कृषि (वि.)  
(10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर )

शपथ-पत्र

मैं/हम ..... पुत्र श्री ..... जाति ..... आयु .....  
गांव ..... तहसील ..... जिला ..... का निवासी  
हूँ । मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

1. मेरे /हमारे नाम से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार चक ..... में ..... हेक्टेयर सिंचित तथा .....  
हेक्टेयर असिंचित भूमि कुल ..... हेक्टेयर है ।
2. मैंने/हमने पूर्व में कहीं भी किसी भी योजना से डिग्गी निर्माण पर अनुदान प्राप्त नहीं किया है ।
3. मैंने/हमने पूर्व में दूसरे चक ..... के मुरब्बा ..... के किला नं. .... में डिग्गी निर्मित कर एक बार अनुदान प्राप्त कर लिया है ।
4. मैंने/ हम अनुदानित डिग्गी को किसी प्रकार से खुर्द-बुर्द तथा क्षतिग्रस्त नहीं करूंगा तथा किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करूंगा ।
5. अनुदान उपलब्ध करवाने वाले विभाग की जो शर्तें होगी मुझे मान्य होगी ।
6. मैं/हम डिग्गी का उपयोग कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य जैसे ईन्ट भट्टा आदि में नहीं करूंगा/करेंगे ।
7. मेरे/हमारे द्वारा डिग्गी का निर्माण प्रशासनिक स्वीकृति द्वारा जारी होने के तीन माह की अवधि में पूरा नहीं करने पर विभाग द्वारा मुझे दी डिग्गी का निर्माण की  
प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त समझूंगा/समझेंगे ।
8. मैं/हम डिग्गी का निर्माण रकबा राज जोहड़पायतन/नहरी/खाला/रास्ता क्षेत्रों में आंशिक रूप से होने पर भी अनुदान राशी राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु बाध्य  
रहूंगा/होंगे
9. उपरोक्त शर्तों की अवहेलना करने पर अनुदान उन्लब्ध कराने वाला विभाग अनुदान की सम्पूर्ण राशी वसूल करने तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र  
होगा ।

क्रमांक ..... :-  
स्थान ..... :-  
गवाह हस्ताक्षर ..... :-

कृषक के हस्ताक्षर